

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- न0नि0वि0-08 / 2020-

सेवा में,

श्रीमती सुधा गुप्ता
पिता- श्री अशोक कुमार गुप्ता
बैंकमोड़, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:-

विषय: आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०-134/18-19 संबंधित आपके आवेदन दिनांक-27.02.2019 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या-5026 दि०- 29.06.13 एवं 3803 दि०- 05.06.14 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-488(II) 13-14, एवं 308 (II) 14-15 जमाबंदी संख्या- 2084, 2151 Receipt No. $\frac{JH}{21}$ A101976, $\frac{JH}{21}$ A101977 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 16-17 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी०डी०-134/18-19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नारायणपुर मौजा सं०-13 अंतर्गत खाता सं०- 7, 24 प्लॉट सं०-320, 321, 322 एवं 328 कुल रकवा- 17.6 डी० भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेन्सी अभियन्ता श्री अजय कुमार केशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 03 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माझा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।


जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू- 276900/- का $\frac{1}{3}$ भाग रू०- 92300/- का ड्राफ्ट सं०- 0020370 दि०-05.06.2020 एवं रू० 92300/- का दो पोस्ट डेटेड चेक सं०- 038900, 038901 दिनांक- 05.06.2021 एवं दिनांक- 05.06.2022 का जमा किया गया है।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। प्लान के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।


भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजात में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।



कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

ज्ञापांक- न0नि0वि0/08-2020- 14

दिनांक- 10/6/20

- 1) प्रतिलिपि- श्री अजय कुमार केशरी, लाईसेन्सी अभियन्ता, धनबाद।
- 2) प्रतिलिपि- सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) प्रतिलिपि- कनीय अभियन्ता, नगर निवेशन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।


कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।


10/6/20
10.6.20

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:-न0नि0वि0-08/2020-14

सेवा में,

श्रीमती सुधा गुप्ता
पिता- श्री अशोक कुमार गुप्ता
बैंकमोड़, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:- 10/6/20

विषय: आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-134/18-19 संबंधित आपके आवेदन दिनांक-27.02.2019 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या-5026 दि0- 29.06.13 एवं 3803 दि0- 05.06.14 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-488(II) 13-14, एवं 308 (II) 14-15 जमाबंदी संख्या- 2084, 2151 Receipt No.- $\frac{JH}{21}$ A101976, $\frac{JH}{21}$ A101977 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 16-17 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0-134/18-19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नारायणपुर मौजा सं0-13 अंतर्गत खाता सं0- 7, 24 प्लॉट सं0-320, 321, 322 एवं 328 कुल रकवा- 17.6 डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेन्सी अभियन्ता श्री अजय कुमार केशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगा। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 03 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगा।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वामित्व, अधिकार एवं दरखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू- 276900/- का $\frac{1}{3}$ भाग रू- 92300/- का ड्राफ्ट सं0- 0020370 दि0-05.06.2020 एवं रू0 92300/- का दो पोस्ट डेटेड चेक सं0- 038900, 038901 दिनांक- 05.06.2021 एवं दिनांक- 05.06.2022 का जमा किया गया है।


स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। प्लान्थ के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।




भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजात में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।


10/6/20


कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,

झमाडा, धनबाद।


10/6/20 10.6.20



Y. JHA HOUSE



SITE PLAN
BASEMENT FLOOR PLAN

स्वीकृत नक्से का मान्यता मात्र तीन वर्षों के लिए खोली जायेगी। अनदेखे सिटिंग पत्र प्राप्त होने पर 124/18-19 संविदा संख्या 328 प्लॉट नं. 328

मवन प्लान की स्वीकृती से आने वाला का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामि का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। प्राच्य निर्देशक के आदेश से कार्यवाही अवरुद्ध। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र विकास प्रविधिकार धनबाद

प्रच्य निर्देशक माडा, धनबाद 1.10.19 2/10/19

मुजल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्गेस्टिंग का निर्माण करना अनिवार्य है।

कार्यवाही अवरुद्ध। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र विकास प्रविधिकार धनबाद 10/6/20 10/6/20

WATER TANK CALCULATION

TOTAL NOS. OF FLATS = 20
 TAKING 5 PERSON EACH FLAT,
 TOTAL PERSON = 20 X 5 = 100 PERSON
 EACH PERSON NEED 135 LITERS PER DAY
 = 135 X 100 = 13500 LITRES
 WATER TANK REQUIRED = 13.5 CUM OR 13500 LTR
 PROVIDED - WATER TANK - 3M X 3M X 3M = 27 CUM

PARKING CALCULATION

TOTAL NOS. OF FLAT -- 20 FLAT
 REQUIRED PARKING = 20
 ONE PARKING NEED 14.5 Sqm.
 REQUIRED PARKING AREA = 14.5 X 20 NOS. = 290 Sqm
 10% EXTRA FOR VISITOR = 29 Sqm
 PROVIDED PARKING AREA, --- 322 SqmFT

SEPTIC TANK CALCULATION

TOTAL NOS. OF FLATS = 20
 TAKING 5 PERSON PER FLAT,
 TOTAL PERSON = 100
 EACH PERSON NEED 0.085 CUM. PER DAY
 100 X 0.085 = 8.5 CUM. (REQUIRED)
 PROVIDED SEPTIC TANK .
 = 2.00 X 3.00 X 2.00M = 12.0 CUM

TITLE OF DRAWING


PLAN PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF SMT. SUDHA GUPTA W/O ASHOK KR. GUPTA OF BANK MORE, DHANBAD. ON MOUZA - NARA YANPUR ALIAS PIPRABERA NO. 13, KHATA NO. 24, 7, PLOT NO. 320, 321, 322, 328 IN THE DISTRICT OF DHANBAD JHARKHAND

SIG. OF OWNER

Sudha Gupta

SIG. OF ENGINEER

[Signature]




SECTION AT X-X



TERRACE FLOOR PLAN



BASEMENT PLAN



FRONT ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION



SECTION AT Y-Y

SECTION TO 4TH FLOOR PLAN



DETAILS OF TYPICAL COLUMN FOOTING



DETAILS OF TYPICAL BEAM



SITE PLAN

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT

PROPOSED PROJECT